राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 10

बुधवार,

14 मार्च, 2007

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

नार्वे प्रतिनिधि मण्डल का सदन में स्वागत

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक विधान सभा नहीं चलेगी ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान बरबाद हो गया है ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : किसानों को मुआवजा दें ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : सरकार बहुत चिंतित है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, on behalf of this House, I welcome a delegation from Norway, headed by Mr. Jagland.

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

मांग

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : वह तो आपके हाथ में नहीं है बदलने का तो, हल्ला करना आपके ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : Again I say, on behalf of this House, I welcome a delegation from Norway, headed by Mr. Jagland. .... (व्यवधान).... राजशाही तो मत चलने देना, नार्वे के डेलीगेशन का आप लोगों की तरफ से मैंने स्वागत किया है उसका तो समर्थन करो ...(व्यवधान) उसका तो समर्थन कर दें, नार्वे के डेलीगेशन के सम्मान में भी नहीं सुनना चाहते एक शब्द ...(व्यवधान) सरकार का तो कुछ भी करो ...(व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : जनता के बीच में जायेंगे तब पता चलेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वाह, वाह बहुत बढिया काम कर रहे हैं, बहुत बढिया डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हो आप।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपने पचास साल के राजकाल में किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। वह आज किसान की वकालत कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस सरकार ने ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होते ही पांच दिन के अंदर नुकसान का पैसा देने के लिए कल मंत्री जी ने घोषणा की। यह तो केवल अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। सरकार घोषणा करने के लिए तैयार है। उनको राहत देने के लिए तैयार है। यह उनको राहत नहीं देना चाहते, अपनी बात कैसे ऊपर रहे, इस बात की वकालत कर रहे हैं और वह लोग कर रहे हैं जिन्होंने पचास साल में किसानों को फूटी पाई का लाभ नहीं दिया, फूटी पाई का। अपने पूरे इतिहास को टटोल लें ...(व्यवधान) अपने पूरे राज का रिकार्ड उठाकर के देख लें। आपने किसानों का एक पाई का लगान कभी माफ किया। किसान का एक पाई का लगान यह माफ नहीं करें, किसान का दस हजार का कर्जा भैरोंसिंह जी के राज में माफ करे तो भारतीय जनता पार्टी माफ करेगी। किसान को हुए हर नुकसान की भरपाई करेगी तो यह पार्टी करे और वकालत करने के लिए, केवल हल्ला करके यह उनके हिमायती बनने की कोशिश करें। जिन्होंने एक पैसे का फायदा नहीं दिया वह आज हिमायती बनना चाहते हैं। सरकार घोषणा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करने के लिए पहले से जैसा आपने कहा था, वह अपना बयान देकर आज और किसान को राहत देने के लिए तैयार होकर के आये हैं लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। केवल अपनी बात को कहना चाहते हैं ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

यह केवल नारेबाजी से, जिन्होंने एक पैसे का लाभ किसान को नहीं दिया, ना किसान को बिजली दे सकें, मिनिमम चार्ज लगायें तो आप लोग लगायें। लगान को माफ करेगी तो भारतीय जनता पार्टी, किसान के बेटे को मुफ्त किताब दे तो भारतीय जनता पार्टी, दस हजार का कर्जा माफ करेगी तो भारतीय जनता पार्टी, नुकसान की भरपाई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और वकालत करने के लिए खड़े हैं। पचास साल में अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते ना और यह बताते, उस समय के समय तो अपनी जुबान पर एक तरह से चपड़ी लग गयी थी और आज वकालत करने के लिए खड़े हो गये, बात करते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पांच साल, सन 1952 से आज तक ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : किसानों को आज तक आपने ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : जितनी सहायता इस सरकार ने की है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अब घोषणा करने वाले हैं ...(व्यवधान) इनको किसानों से कोई मतलब ही नहीं है, किसानों के लिए सरकार ने जो किया है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ...(व्यवधान) आज तक एक रूपया तो नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की समग्र रिपोर्ट ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के अपने आपको हिमायती समझते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : यह उसके अतिरिक्त घोषणा करना चाहते हैं। काश्तकारों को इन ए डेज रिलीफ कैसे दीजिये उसकी घोषणा करना चाहते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि काश्तकारों को वह पैसा मिले। यह जान-बूझकर के काश्तकारों को जो सहायता देने का हमारी सरकार का मंतव्य है, हमारी सरकार का विचार है, उनको यह सुनना नहीं चाहते हैं। यह केवल हल्ला करना चाहते हैं..(व्यवधान) काश्तकारों की किसी तरह की बात को, सहायता करने की बात को यह सुनना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी की सरकार इस राजस्थान विधान सभा में लम्बे समय तक रही हैं उन्होंने कभी भी घोषणा नहीं की है। जैसी राहत कार्यों की घोषणा और पैकेज हमारे मंत्री जी देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी देना चाहती हैं। 12 तारीख की शाम को ओले पड़े और कल सारे दिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और उन्होंने अपनी ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : दिल्ली का पता नहीं है क्या कि दिल्ली में क्या हो रहा है पार्लियामेंट में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.07 बजे से 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(पुनः समवेत् होने पर)

(12.00 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.00 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित की गई)

(12.30 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि उनकी मांग के अनुसार सदन की नेता सदन में आ गई हैं और वो इस संबंध में कुछ कहना चाह रही हैं। यदि आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे कुछ कहें और यदि आप अपने स्थान पर नहीं जाते हैं उस हालत में तो मुख्य मंत्रीजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी, यदि ये अपने स्थान पर नहीं जाते हैं तो आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री किसानों के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री कल स्वयं दो जिलों के अंदर जाकर आयी हैं और जब ये सत्ता में थे पांच साल के अंदर एक करोड़ से कम की राशि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को दी और ..(व्यवधान).. इस सरकार ने 36 करोड़ रुपये अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को दिया। आज किसान इस प्राकृतिक विपदा को झेल रहा है उस किसान को राजस्थान की सरकार ने मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये देने की घोषणा कल माननीय मंत्रीजी ने की है। घायल को 25 हजार रुपये देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अगर इनके पास कोई बात कहने को हो तो इनको नियमों में आना चाहिए, आकर अपनी बात कहे और कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय जाया करते हैं। सदन की नेता कुछ कहना चाहती हैं ये सुनना नहीं चाहते। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि आपकी मांग के अनुसार मुख्यमंत्री इस सदन में आ गई, मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं करना चाहती हैं और आप सुन ही नहीं रहे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : उनके बीच में जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारी हैं। इनके राज में कभी किसानों को कुछ नहीं दिया। आज

(श्री सांवर लाल)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया कुछ कहना चाह रही हैं, हठधर्मिता के कारण ये सुनना नहीं चाह रहे। किसानों का आज तक इन्होंने सन् 1952 से कुछ नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदया कुछ कहना चाह रही है और ये सदन का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये गांवों में नहीं जाते। ..(व्यवधान).. किसानों को एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर ..(व्यवधान).. किसानों के बिल माफ करना, अकाल राहत के कार्य घोषित करना, यह सब सरकार कर चुकी है। ये अपनी तरफ से क्या चाहते हैं, आज इन्होंने सदन के अंदर कुछ नहीं कहा। भारत सरकार से सी.आर.एफ. में बदलाव के लिए ये कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है राजस्थान के किसानों का कि ऐसे सदस्यों को प्रतिपक्ष में चुनकर भेजा। किसानों की कोई बात नहीं करना चाहते, केवल रोला करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं इसके बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। यह राजस्थान के किसानों का दुर्भाग्य है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन हो गये। ..(व्यवधान).. दो दिन में सिवाय हल्ले के कुछ नहीं किया। ..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान में रहने वालों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ..(व्यवधान)..

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो किसान विधायक हैं वे अपनी बात कहना चाहते हैं। गैर किसान लोगों ने यहां माहौल खराब कर रखा है। किसानों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब पीछे खड़े हैं। इनको बात करने का मौका ये नहीं दे रहे हैं ..(व्यवधान)..

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री) : सरकार यहां घोषणा करने वाली है, लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उस घोषणा को नहीं सुन सकते क्योंकि सरकार काफी अच्छी रिलीफ काश्तकारों को देना चाहती है जिनका नुकसान हुआ है, लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के पेट में बल पड़ रहा है। यह सरकार यदि काश्तकारों को अच्छा दे देगी तो इनकी राजनैतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। इसलिए जान-बूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं, हो-हल्ला कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बहुत ही गम्भीर मामला है। यदि आप इस मामले में गम्भीर होते तो आराम से चर्चा कराते,

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अपने सुझाव देते। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है इसको शांति से सुनते, लेकिन अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने अराजकता फैलाने का ठेका ले रखा है और जान-बूझकर अनर्गल नारेबाजी कर रहे हैं और व्यवधान डाल रहे हैं काश्तकारों का जो भला नहीं कर सकते वे लोग इस तरह की बात को लेकर बिना बात के ..(व्यवधान)..

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : ये तो किसानों से कोई वास्ता नहीं रखते। जिनकी एक इंच जमीन नहीं है, जिनको पता नहीं खेती-बाड़ी कैसे होती है ऐसे माननीय सदस्य ..(व्यवधान).. किसानों की आवाज उठाने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्रीजी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिनकी एक इंच जमीन नहीं है वे क्या कर रहे हैं ..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : आप काश्तकारों के हितैषी न होकर काश्तकारों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपने जो ..(व्यवधान)..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य किसान की मदद नहीं करना चाहते हैं, किसान की मदद के लिए मुख्य मंत्रीजी सदन में आकर अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन उस किसान की मदद की जाए यह नहीं चाहते हैं। वे तो केवल इस बात का श्रेय ले जाना चाहते हैं कि जो भी मदद करा रहे हैं वह हमारे हल्ले के कारण से मदद हो रही है, यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। आप लोगों ने 45 साल तक राज किया आज आप यह भी बताना कि आपने कोई किसान की मदद की है। केवल हल्ला करके किसान के हिमायती नहीं बन सकते हो। केवल यहां चिल्लाकर किसान की तरफदारी नहीं कर सकते। यह तो पहली बार भैरोंसिंह जी की सरकार ने किसान की मदद करने की सोची और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने इस बार भी ओले गिरते ही चार दिन के अंदर चैक किसान के हाथ में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। अब आप लोगों को इसकी पीड़ा है कि इस सरकार को श्रेय मिल रहा है और आप अछूते रह गये इसकी भड़ास निकालने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। आप किसान की मदद नहीं करना चाहते हो। आप मुख्य मंत्रीजी को नहीं सुनना चाहते हो। किसान को मदद मिले यह भी आप नहीं चाहते हो। आप तो केवल श्रेय लूटना चाहते हैं कि किसान के हमदर्द तो हम ही हैं। जिन्होंने 45 साल में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किसान की मदद नहीं की वो यह नाटकबाजी करके किसान के हमदर्द बनना चाहते हैं। सारे राजस्थान की छह करोड़ जनता इस सारे खेल को देख रही है। चिल्लाने से नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं अकेला ही आपकी चिल्लाने की आवाज दबा सकता हूं। अगर हिम्मत हो तो अकेले ही बहस करो। आप सब बोलो, मैं अकेला भी आपकी आवाज को दबा सकता हूं, केवल हल्ला करके किसानों के हमदर्द नहीं बन सकते हो। 45 साल का आपका इतिहास इस बात का साक्षी है कि आपने किसान का शोषण किया, किसान के साथ न्याय नहीं किया और उसकी झेंप मिटाना चाहते हो। 45 साल के पापों की झेंप मिटाने के लिए आधा घण्टे हल्ला करने से किसान के हमदर्द नहीं बन सकते हो। इस सरकार ने जो मदद की उससे आपको ठेस लग रही है कि हम क्या शक्ल दिखाएंगे? इस सरकार ने तो जैसे ही घटना हुई मुख्य मंत्रीजी ने सारे क्षेत्रों का दौरा करके किसान की पीड़ा को सुना और यही नहीं आज सारे मंत्रियों को अलग-अलग जिलों में भेजा है। सारे के सारे मंत्री आज जिलों में जाकर वहां की जनता से प्रत्यक्ष बात करके सारी रिपोर्ट लेकर आएंगे, यह जो नुकसान हुआ है पटवार सर्किल के आधार पर अगर रिकार्ड इकट्ठा होकर नहीं आता है तो फिर मैं सोचता हूं कि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी चर्चा में कोई सुझाव दे सकते हो।

बिना चर्चा के हो हो से आपको मदद नहीं मिलेगी। आज राजस्थान का किसान जान रहा है । यह केवल नाटक के लिए हो रहा है, उसकी मदद नहीं हो रही है । अगर उसकी मदद के लिए चाहें तो हाउस में मुख्य मंत्री को सुनते, फिर आपके कुछ सुझाव होते। अगर आप उसमें कुछ कमियां महसूस करते, आप उन कमियों को बताते, हम उन कमियों के आधार पर अगर और कुछ मदद की जा सकती है तो उस पर चर्चा हो सकती है लेकिन यह चाहते नहीं इसलिए मैं सोचता हूं मुख्य मंत्री जी, इस तरह के हालात में कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जो घोषणा कल हमारे अकाल राहत मंत्री ने की उसके बाद जब यह सुनना चाहेंगे उसी दिन आप इसको करें, तब तक उस आधार पर कोई घोषणा नहीं करें। ये अड़े हुए हैं तो सरकार को भी अड़ना चाहिए। इस आधार पर घोषणा करके हम इनको श्रेय देने वाले नहीं हैं। ये केवल श्रेय लूटना चाहते हैं कि हमने घोषणा कराई। पैसा सरकार देवे, निर्णय सरकार करे और केवल फालतू जाकर के उसका श्रेय लेने की कोशिश करें, यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं हो सकता। केवल हल्ला करके और श्रेय लूटना चाहते हैं, यह श्रेय किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता आपको। जिस तरह से जिस ओछे हथकंडे से आप आए हैं न, उस ओछे हथकंडे से नहीं, अगर आप यह लोकतंत्र मानते हो न तो चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र में बराबर आप अपने सवाल को रखें लेकिन हो हो में। आपके सवाल का जवाब नहीं है और मैं कहता हूं कि आप निश्चिंत होकर जाइए हम निपटेंगे जो भी होगा वह। केवल हल्ला करके और श्रेय लूटना चाहते हैं, यह श्रेय किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता आपको।

श्री सांवर लाल: अध्यक्ष महोदय, इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिपक्ष के ऐसे लोग शोर करवा रहे हैं। (व्यवधान) जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, एक इंच जमीन नहीं है इनकी।

कार्य सलाहकार समिति का 17वां संशोधित प्रतिवेदन

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 13 मार्च, 2007 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में की गई घोषणा एवं कार्य सलाहकार समिति की बैठक में हुई सहमति के संदर्भ में कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन में निम्नानुसार परिवर्तन करने हेतु प्रक्रिया के नियम 218 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

शनिवार, 17 मार्च, 2007 रविवार, 18 मार्च, 2007 सोमवार 19 मार्च, 2007	अवकाश
मंगलवार, 20 मार्च, 2007	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2006-07 मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। 2. आय-व्ययक, 2007-08 की अनुदान की मांगें- न्याय प्रशासन, पुलिस, कारागार पर विचार एवं पारण।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। अकाल राहत मंत्री जी अपनी बात को कहना चाहते हैं। इस सदन के माध्यम से साढ़े चार करोड़ किसानों के लिए जो सरकार के मन में हमदर्दी है, जो सरकार उनके लिए करना चाहती है उसी की घोषणा करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आसन से अनुमति मांग रहे हैं।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में ओलावृष्टि से प्रभावितों को सहायता विषयक

डा. किरोड़ी लाल (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सर्वप्रथम 9, 13 फरवरी, 2007 में ....(व्यवधान).... 20 जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्थिति की समीक्षा करते हुए मुझे निर्देश दिये कि मैं सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को व सचिवगणों को .... (व्यवधान)... ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में तुरन्त भेजूं तथा मंत्रीगणों व सचिवगण अपनी रिपोर्ट ...(व्यवधान)... प्रस्तुत करें। मेरे द्वारा तथा जिलों में प्रभारी मंत्रीगणों द्वारा निर्धारित समय में दौरा किया गया और उसके लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया जिसमें ......

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : सुनो, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मंत्रीजी जो किसानों के लिए कर रहे हैं, सुनो।

डा. किरोड़ी लाल (अकाल राहत मंत्री) : ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों के परिवारों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, गंभीर रूप से घायलों के परिवारों को 25,000 रुपये व सामान्य घायलों के परिवारों को 5000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुग्रह सहायता उपलब्ए कराई जाएगी।

पक्के मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर 10,000 रुपये, गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 2,000 रुपये तथा आंशिक रूप से

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

क्षतिग्रस्त मकानों को 800 रुपये प्रति मकान की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कच्चे मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिगस्त हो जाने पर 6,000 रुपये, गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1200 रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिगस्त मकानों के लिए 800 रुपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल की क्षति हुई है उनको सिंचित क्षेत्र के लिए 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं असिंचित क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अन्य किसानों को भी लघु एवं सीमान्त कृषकों की भांति कृषि आदान अनुदान दिया जाएगा। ये कृषि आदान अनुदान 2 हेक्टेयर तक ही देय होगा।

ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जाएगा।

जिन प्रभावित परिवारों के मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं उनको तुरन्त सहायता के रूप में 20 रुपये प्रति वयस्क एवं 10 रुपये प्रति बच्चे प्रतिदिन की दर से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था तक नकद अनुग्रह सहायता दी जाएगी और ऐसे लोगों के कपड़ों के लिए 500 रुपये एवं बर्तनों के 500 रुपये की राशि प्रति परिवार उपलब्ध कराई जाएगी।

किसी कातश्कार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा आदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

ओलावृष्टि से प्रभावित वे गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है तथा भू-राजस्व स्थगित कर दिया गया है। सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर रिफेजिंग की जाएगी।

जिन किसानों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके दो माह के बिजली के बिल माफ किये जाएंगे।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

जिन परिवारों के ओलावृष्टि के कारण मकान ध्वस्त/क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको राहत कार्यों के अन्तर्गत भवनों की मरम्मत/निर्मित कराया जाएगा। इस योजना अन्तर्गत सामग्री मद में व्यय होने वाली समस्त राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी व समस्त श्रम राशि राहत मद से नकद में देय होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए इस सदन के अन्दर जो राहत सरकार देना चाहती है, सरकार उनकी पीड़ा में जिस तरह सम्मिलित होना चाहती है उसके बारे में अपनी बात कहिए, अध्यक्ष महोदय और अच्छा होता प्रतिपक्ष के लोग अपनी सीटों पर जाते और इसके अन्दर और कैसे किया जा सकता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करते। यह कोई बात कहना नहीं चाहते। अगर कोई बात कहना चाहते, किसानों के प्रति हमदर्दी इनके मन में हो तो निश्चित तौर पर इनको अपनी बात कहनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास के अन्दर यह पहली सरकार है जिसने ओला पीड़ित किसानों के दर्द को समझा, अध्यक्ष महोदय, 36 करोड़ रुपये की सहायता दी है और अध्यक्ष महोदय, 5 साल तक राज करने वालों ने एक करोड़ रुपये से कम की सहायता दी है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह काश्तकारों के घड़ियाली आंसू बहाने वाले काश्तकारों के हमदर्द बनने वाले काश्तकारों को जो पैकेज दिया है।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत जिन लोगों ने सूचना दी है वह पढ़े हुए मान लिए जाएंगे। श्री शांतिलाल चपलोत।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देंखे)

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्रम संख्या 56 से 67)

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2006-07 के 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:

राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित समिति का 56वां प्रतिवेदन।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002) से संबंधित समिति का 57वां प्रतिवेदन ।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999) से संबंधित समिति का 58वां प्रतिवेदन ।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998) से संबंधित समिति का 59वां प्रतिवेदन ।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001) से संबंधित समिति का 60वां प्रतिवेदन ।

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के 62वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 61वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006 के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 62वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-1992) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 63वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1992-1993) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 64वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-1995) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 24वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 65वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-1993) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 19वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 66वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-1996) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 67वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थ लाल ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (संख्या 3)

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): मैं सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2006-07 समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर –अनुपस्थित।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) – अनुपस्थित।

श्री बंशीलाल खटीक।

याचिकाओं का उपस्थापन

राजसमंन्द क्षेत्र में पुनर्गठित पेयजल योजना लागू करने बाबत

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, मैं, (1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पुनर्गठित पेयजल योजना लागू करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

केलवा एवं कांकरोली (राजसमंद) में पुलिस थाना स्वीकृति करने बाबत

विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में केलवा एवं कांकरोली में पुलिस थाना स्वीकृत करने बाबत पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री सी. डी. देवल। श्री देवीशंकर भूतड़ा।

ब्यावर (अजमेर) की पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय पर तहसील कार्यालय खोले जाने बाबत

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र ब्यावर (अजमेर) की पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय पर तहसील कार्यालय खोलने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाताराम गुर्जर।

पाटन नेशनल हाइवे से सिंघाना (40 कि.मी.) को मेगा हाइवे से जोड़ने बाबत

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाटन नेशनल हाइवे से सिंघाना (40 कि.मी.) को मेगा हाइवे से जोड़ने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : जोर से बोलो। दम नहीं है, दम निकल गया।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 15 मार्च, 2007 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.51 बजे गुरुवार, 15 मार्च, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

बाली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त लाटाड़ा बांध की ऊंचाई बढ़वाने एवम् नहरों का जीर्णोद्धार करवाने बाबत

श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत (बाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवम् संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बाली में वर्ष 1968-69 में सिंचाई विभाग द्वारा लाटाड़ा बांध पूर्णत: पक्का पत्थर के मेशनरी वर्क से 27 फीट की ऊंचाई तक बनाया गया। वर्ष 1996-97 के दौरान इस बांध की ऊंचाई 33 फीट तक बढ़ाई गई, जिससे इसकी भराव क्षमता 52.33 MCFT व सिंचित क्षेत्र 480 एकड़ हो गया। वर्ष 2001 वर्षाकाल के दौरान क्षमता से अधिक पानी की आवक से यह बांध ऊपर से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया इसकी ऊंचाई 6.25 फीट घट जाने से अब मात्र 26.75 फीट की बांध ऊंचाई तथा भराव क्षमता 36.29 MCFT ही रह गई है। इस तरह भराव क्षमता व सिंचित क्षेत्र दोनों में क्रमश: 15.94 MCFT व 120 एकड़ की कमी आई है। ऐसी परिस्थितियों में सिंचित क्षेत्र में तीन पाण की जगह दो पाण (नहरों में पानी छोड़ना) ही दिये जा रहे हैं। अत: जनहित में इस पक्के बांध की ऊंचाई पूर्ववत् ही 6.25 फीट बढ़ाकर, इसकी कुल ऊंचाई 33 फीट की जावे तथा नहरों का जीर्णोद्धार किया जावे। इस बाबत संबंधित क्षेत्रीय जन संसाधन कार्यालय द्वारा सरकार को राशि रुपये लगभग 50 लाख का एस्टीमेट भी प्रेषित किया गया है। बांध की ऊंचाई बढ़ाने व नहरों के जीर्णोद्धार से ग्राम लाटाड़ा व शिव तलाव के लगभग 120 एकड सिंचित क्षेत्र को पुन: नहरों के माध्यम से सिंचाई का लाभ मिल सकेगा, जो क्षेत्र के लघु सीमान्त व आदिवासी सैकड़ों किसानों के लिये हितकर होगा।

कपासन चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने बाबत

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को कल्याणकारी सरकार के कुशल वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन का अल्प कार्यकाल गत सरकार के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। स्कूल क्रमोन्नत कराने की बात हो, स्कूलों में मिड-डे-मील योजना को विशिष्ट तरीके से लागू करने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, आदि हर क्षेत्र के हर पहलू से सम्बन्धित हुए विकसित कार्य ऐतिहासिक माने जा सकते हैं।

(श्री बद्रलाल जाट)

चिकित्सालय क्रमोन्नत करने व कुशल स्वास्थ्य प्रबन्धन का जहां तक सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिकित्सालय क्रमोन्नत करने अस्पतालों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के जरिये बेहतर सुविधाएं माननीय चिकित्सा मंत्री जी के माध्यम से राजस्थान की जनता तक पहुंचाई है। विधान सभा क्षेत्र कपासन की जनता की वाजिब मांग निरन्तर रही है कि उनके क्षेत्र में भी चिकित्सालय क्रमोन्नत किये जावें, कारण जो, भी रहा हो लक्ष्यों की पूर्ति हो जाने का ही या अन्य रहा। किन्तु मुझे विश्वास है कि उपखण्ड मुख्यालय कपासन पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपासन को सामान्य चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जावेगा, साथ ही राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आकोला, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादसोड़ा, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बानसेन, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर को क्रमोन्नत किये जाने की महत्ती आवश्यकता होने से इन्हें भी इसी में शामिल कर क्रमोन्नत किया जावेगा।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त चिकित्सालयों को इसी बजट में शामिल कर क्रमोन्नत कराने की कृपा करावें।

घाटोल विधान सभा क्षेत्र के 32 गांवों के किसानों को कब्जा काश्त की जमीन आबंटित करने बाबत

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा के संबंधित तहसील घाटोल से सम्बन्धित 8 ग्राम पंचायतों के 32 गांवों के 562 आदिवासी किसान 6 पटवार मण्डलों में अपनी परम्परा रीति अनुसार कई वर्षो से जंगलों के सहारे पशु पालन करते हैं व वर्षा का पानी के आधार पर खेती करके अपना जीवन जीते है लेकिन राज्य सरकार द्वारा उक्त 32 गांवों के 562 आदिवासी किसानों को राज्य सरकार द्वारा अपने कब्जा काश्त को जमीन एलाटमेंट नहीं की जा रही है।

गत वर्षो में दिनांक 27.11.2004 से 31.12.2004 तक प्रशासन आपके द्वार अभियान चलाया गया था लेकिन उस अभियान में आदिवासी किसानों को अपने कब्जा काश्त को जमीन एलाटमेंट नहीं की गई है व हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन स्वर्ण खदान का परीक्षण होने के कारण जमीन एलोट नहीं की है। जिसमें आदिवासी कृषक हर वर्ष अपने कब्जा काश्त की जमीन पर धारा 91 के तहत दण्ड व प्लान्टी नाजायज लग रही है। अत: आदिवासी किसानों को जमीन एलोट करा दण्ड लान्टी से मुक्ति दिलाने की जानकारी दे रहा हूं।

बल्लभनगर में अफीम के पट्टे निरस्त करने बाबत

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुछ जिलों में अफीम उत्पादन किया जाता है जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर भी शामिल है। वहां के अफीम उत्पादक उत्कष्ट क्वालिटी की अफीम का उत्पादन करते आये हैं और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इनके पट्टे की 10 आरी के थे को बढ़ाकर 20 आरी के कर दिये व कई नये कृषकों को पट्टे जारी किये।

परन्तु वर्तमान सप्रसंग सरकार ने अफीम की खेती को बन्द करने की ठान ली है और अफीम के पट्टे निरस्त करने के लिये किसानों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अफीम में 5-10 प्रतिशत मिल्क पाउडर व बोर्नविटा मिलाया है जबकि अफीम संग्रहण करते समय ओवन टेस्ट किया गया व केमीकल टेस्ट भी किया गया और अफीम को सही माना गया उसी हिसाब से पेमेन्ट भी सही किया गया।

जो अफीम संग्रहण के समय स्वयं अधिकारियों द्वारा सही बताई गई उसी को फैक्ट्री में ले जाकर मिलावटी दवा दिया गया जो किसानों के साथ धोखा है। इन किसानों के पट्टे भी निरस्त कर दिये गये। बात यहीं समाप्त नहीं हुई निरस्त किये गये पट्टों के धारकों को यह कहकर दिल्ली ले जाया गया कि पट्टे वापस दे दिये जायेंगे। दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री से भी बात की गई व यह आवश्वासन दिया गया कि पट्टे वापस दिये जायेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ व किसान अब भी अधरझूल में हैं कि उसे पट्टे वापस मिलेंगे या नहीं। ना तो वो और कोई फसल ले सकेगा और अगर फिर पट्टे नहीं मिले तो किसान बरबाद हो जायेगा। मेरी सदन के माध्यम से केन्द्र से अनुरोध है कि काटे गये पट्टे तुरन्त वापस देने की कार्यवाही की जाय व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायें।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने बाबत

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2005-2006 के बजट प्रस्तावों में राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में 20 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ किये गये 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधीक्षक के अलावा समस्त स्टाफ संविदा

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

पर कार्य करेगा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में ही नव सृजित 5 नवीन पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य सहित समस्त अन्य पद नियमित वेतन श्रृंखला में कार्य करेगा। इस प्रकार एक ही विभाग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के लिए दो अलग-अलग आदेश जारी कर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न की है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नवीन स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालेसर जो कि वतर्मान में एस.सी.वी.टी. के तहत संचालित किया जा रहा है, एस.सी.वी.टी. के तहत संचालित, होने से अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी को केवल मात्र राजस्थान क्षेत्र में ही रोगजार के अवसर प्राप्त होंगे। यदि उक्त संस्थान को एन.सी.वी.टी. में क्रमोन्नत किया जाता है तो इसका सीधा लाभ संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी को सम्पूर्ण भारत में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

अत: तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2006-2007 में प्रारम्भ किये गये 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी **(पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के नियमित वेतन श्रृंखला के स्टाफ की तरह ही)** अधीक्षक के अलावा समस्त स्टाफ भी (कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वर्कशाप अटेण्डेट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) नियमित वेतन श्रृंखला में सृजित करने एवं **नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालेसर को एस.सी.वी.टी. से एन.सी.वी.टी. में क्रमोन्नत** करवाने की स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावें।

किशनपोल (जयपुर) में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने के संबंध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने के संबंध में मा. चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं :-

महोदय, नेशनल हाइवे नं. 8 - सीकर रोड़, जयपुर के दोनों ओर की आवासीय कालोनियों के विस्तृत क्षेत्र में एक भी बड़ा राजकीय चिकित्सालय नहीं है, जिसके कारण वहां के निवासियों को मजबूरन इमरजेन्सी की स्थिति में मरीजों को प्राईवेट अस्पतालों में ले जाना पड़ता है, इसलिये राज्य सरकार को विद्याधर नगर, जयपुर में

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

सेटेलाईट हास्पिटल एवं एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सालय मेरे विधान सभा क्षेत्र मे है जैसे—हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर को जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जिला अस्पताल के मानदण्डों के अनुसार उसमें सुविधाऐं नहीं हैं। इस चिकित्सालय में आई.सी.यू. की स्थापना करनी चाहिये, जिसके लिए समुचित चिकित्सीय उकपरण और तकनीकी स्टाफ का पदस्थापन भी साथ में करना आवश्यक है। महोदय इसके अतिरिक्त इस चिकित्सालय में मनोचिकित्सक, पैथोलोजिस्ट, ई.एन.टी. एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के नये पदों का सृजन करना आवश्यक है। इस जिला चिकित्सालय में इमरजेन्सी में 24 घंटे किसी प्रकार की पैथोलोजिस्ट जांच करवाने की सुविधा नहीं होने के कारण मजबूरन अस्पताल के कार्य समय के अतिरिक्त चिकित्सकों को इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों की जांचे बाहर से करवानी पड़ती हैं अथवा उन्हें एस.एम.एस. में रेफर कर दिया जाता है, जिसमें एस.एम.एस. पर भी मरीजों का लोड पड़ता है। इसलिये इस अस्पताल में 24 घण्टे पैथोलोजी एवं ई.सी.जी. जैसी जॉचों की सुविधा उपलब्ध करानी आवश्यक है। सरकार एक और अन्धता निवारण के बड़े-बड़े कार्यक्रम बना कर अन्धता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं इस जिला अस्पताल में केवल वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) का पद स्वीकृत है, लेकिन उनकी अधिकांश दिन कैम्पों में ड्यूटियां होने के कारण ऑखों के आपरेशन समय पर नहीं हो पाते हैं और जिनके आपरेशन होने हैं, उसके पश्चात् अर्थात् मरीज के आपरेशन के बाद उसकी समुचित देखभाल के लिये इस चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ-नेत्र का पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए कनिष्ठ विशेषज्ञ-नेत्र के 2 नये पद सृजित करने आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनीपार्क सेटेलाईट चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में स्थान के अभाव के कारण बहुत समस्यायें आ रही हैं, जैसे-जो आपरेशन थियेटर है वह बहुत छोटा है तथा इसे स्थानाभाव के कारण बड़ा नहीं किया जा सकता। इसी थियेटर में सभी प्रकार के आपरेशन करने पड़ते हैं। स्थान की कमी के कारण चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उकपरण भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, सिंधी कालोनी में बनीपार्क सेटेलाईट का भवन बनाकर स्थानान्तरित करना चाहिए, क्योंकि इस अस्पताल में काफी जमीन उपलब्ध है।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है

(श्री केशरदेव बाबर)

कि किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में समस्याओं का निराकरण करने संबंधी कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने बाबत

श्री केशरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ शहर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोले जाने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

सीकर जिले का लक्ष्मणगढ़ शहर शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी कस्बा है जहां की आबादी लगभग साठ हजार की है एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्नातक तक की पढ़ाई करने वालों छात्र/छात्राओं की संख्या सात हजार से भी अधिक है। इन छात्रों में देश के अन्य राज्यों के छात्र तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही जिला सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र/छात्राएं भी अध्ययनरत हैं एवं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि उनके माता-पिता उन्हें रोजगारपरक उच्च अध्ययन हेतु अन्य स्थानों पर भेज सकें। लक्ष्मणगढ़ शहर में राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, बगडिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, श्री रघुनाथ बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल, श्री रघुनाथ सीनियर सैकण्डरी स्कूल, छात्र, भगवानदास मोदी कालेज, गोयनका महिला महाविद्यालय एवं मोदी स्कूल तथा कालेज अवस्थित हैं जहां पर हजारों की तादाद में छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं परन्तु स्थानीय छात्र/छात्राओं को रोजगार मुहैया करवाने की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ शहर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में किये जाने का कष्ट करें ताकि यहां पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा सुलभ हो सकें।

सिरोही जिले में पुलिस द्वारा शांति देवी कुमावत के हत्यारों को गिरफ्तार न करने के सम्बन्ध में

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के शिवगंज पुलिस थानान्तर्गत वेरारामपुरा में शांति देवी की जनवरी माह में नृशंष हत्या कर दी गई।

(श्री श्री संयम सिंह लोढ़ा)

एक के बाद एक जिले में लगातार हो रहे संगीन अपराधों का पर्दाफाश न होने से क्षुब्ध जिले की आम जनता व शांति देवी की हत्या से स्तब्ध कुमावत समाज के हजारों लोगों ने मेरी उपस्थिति में दो दिन तक शिवगंज थाने को घेरे रखा जब जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक ने 8-10 दिन में हत्यारों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया तब घेराव खतम किया है।

इसके बाद दो-तीन बार कुमावत समाज के प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मिले और अपनी व्यथा बयान की लेकिन डेढ़ माह से अधिक समय हो गया अभी तक पुलिस लाचार बनी हुई है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इससे पूर्व घटित अपराध मंडार थाना क्षेत्र का माली हत्याकांड, रामपुरा का निजाम हत्याकांड, स्वरूपगंज का तिहरा आदिवासी हत्याकांड, आबूरोड़ का सरफुद्दीन हत्याकांड, शिवगंज का गाडोलिया आंख फोडो कांड नहीं खुले हैं। लोगों का पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहा।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से गृहमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे तुरन्त वरिष्ठ अधिकारियों को सिरोही जिले में भेजे, विशेष पुलिस दल बनाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर आम जनता को राहत प्रदान करें।

उडेन नदी (हिण्डौली) पर लघु सिंचाई परियोजना बनाये जाने हेतु

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, यह कि हिण्डौली एवं नैनवां विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत, डाबेटा, ग्राम पंचायत, दराका, नयागांव, सांभरवाडी भील बस्ती, कालपुरिया, विषधारी, कालानला, फलास्तूनी ऐसे गांव हैं जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नदी-नालों में सिंचाई हेतु भरपूर पानी होने के बाद भी लघु सिंचाई परियोजना नहीं होने के कारण आजादी के 60 साल बाद भी हमेशा अकाल जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यहां पर ग्राम पंचायत डाबेटा के ग्राम दरा का नयागांव के निकट उडेन नदी पर लघु सिंचाई परियोजना बनायी जा सकती है। इन 7-8 गांवों में लगभग 10 से 15 हजार बीघा जमीन इस परियोजना से सिंचित की जा सकती है। और क्षेत्र के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है ताकि इनको दो जून का खाना सुविधा से मिल सके। जो इस नदी पर जल की अनुमानित आवक है उसको 50 प्रतिशत निर्भरता पर भी लगभग 450 मिलियन घन फीट पानी उपलब्ध हो सकता है। वर्तमान में इस कमाण्ड क्षेत्र में सारे ही काश्तकार, पशुपालन व वर्षा आधारित कृषि

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पर निर्भर हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से व उपयोगिता के दृष्टिकोण से यह लघु सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की जा सकती है।

जहां तक इस परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट का सवाल है, क्षेत्र के विधायकों, सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने समय-समय पर इस परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में जन आंदोलन व पत्रों के जर्ये मांग की है। जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ही विभाग ने इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की है, क्योंकि यह अभी आरम्भकाल में ही है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्वीकृत होने के उपरान्त विस्तृत सर्वे कराकर परियोजना रिपोर्ट तैयार कराया जाना आवश्यक है तथा यह कार्य राज्य सरकार के आदेश प्रसारित होने के बाद हो सकेगा। अभी तक भी इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे जनता में असंतोष है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल विस्तृत सर्वे कराकर इस लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति जारी कर इस परियोजना को शीघ्र लागू करने का कष्ट करें।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या

श्री शिवजी राम मीणा (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कई गांवों में वर्तमान में फ्लोराइडयुक्त दूषित पेयजल ही उपलब्ध है जिससे उन गांवों के सभी व्यक्तियों को कम उम्र में कुबड़ापन तथा दांत गिर जाना इत्यादि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है तथा कुछ गांवों के व्यक्तियों की तो पहचान ही इन बीमारियों से होने लगी है। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के कई गांवों में कुओं का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि वर्तमान में भी पेयजल की किल्लत होने लग गई है ऐसी स्थिति में आगामी गर्मियों में तो पेयजल समस्या का निराकरण ही कठिन हो जावेगा।

इस समस्या के निदान हेतु पूर्व जयपुर में जहाजपुर-पण्डेर-शाहपुरा वाटर, सप्लाई परियोजना तैयार की गई थी। इस परियोजना से जहाजपुर तहसील के 66 गांवों व 6 मजरों के साथ ही शाहपुरा तहसील के 20 गांवों एवं नगरपालिका जहाजपुर व शाहपुरा को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना

से क्षेत्र की अनुमानित 143480 जनसंख्या को लाभान्वित किया जाना था जिससे क्षेत्रवासियों में शुद्ध पेयजल मिलने की उम्मीद बनी थी। मेरी जानकारी के अनुसार माह जून, 2006 में वित्त समिति द्वारा परियोजना के सर्वे कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि बीसलपुर बांध में जल आरक्षण के पश्चात् सर्वेक्षण कार्य करवाया जावे। किन्तु बीसलपुर बांध में जल आरक्षण नहीं होने से परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया जा सका है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि जहाजपुर क्षेत्र से निकल रही बनास नदी में धुंवाला के पास कोटा-अजमेर पुलिया के निकट पेयजल का स्त्रोत तैयार करवाकर एवं स्वीकृत कर फ्लोराइडयुक्त पेयजल वाले गांवों में शुद्ध पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें, ताकि ग्रामीणों को दूषित पेयजल के कारण बीमारियों से मुक्ति मिल सके।

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में पक्के निर्माण कार्यो पर रोक बाबत

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय पंचायत राज मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने हेतु स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की मांग व आमजन के हितार्थ पक्के निर्माण कार्य करवाये जाते रहे हैं जिससे स्थानीय निवासियों की आवश्यकता की पूर्ति होती रही है। किन्तु अभी हाल ही के वर्षों में पंचायत राज विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में एस.जी.आर.वाई. योजना के तहत जो मार्गदर्शन प्रसारित किये गये हैं उनमें पक्के निर्माण कार्यों पर रोग लगा दी गई है एवं मात्र कच्चे कार्यों यथा ग्रेवल सड़क, नालियों व अन्य कच्चे कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि एस.जी.आर.वाई. योजना के तहत पूर्व की भांति पक्के निर्माण कार्यों यथा सभा भवन, पंचायत भवन, पटवार भवन, सांड घर, शमशान की चारदीवारी, विद्यालयों की चारदीवारी सी.सी. सडकों, पक्की नाले व नालियों के निर्माण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होने वाली राशि से स्थानीय ग्रामीणों को स्थाई कार्य मिलेगा जिससे वे इसका लम्बे समय तक उपयोग उपभोग कर सकेंगे एवं सरकारी क्षेत्र से किये जाने वाले खर्च राशि का सदुपयोग ज्यादा होगा।

अत: आशा करता हूं इस बाबत माननीय पंचायत राज मंत्री इस पर गौर फरमाते

(श्री भरत सिंह)

हुए शीघ्र ही एस.जी.आर.वाई. योजना के तहत पक्के निर्माण कार्य स्वीकृत करने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करायेंगे।

कोटा-बारां जिले को जोड़ने वाली पलायथा-संगोद सड़क 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाने बाबत

श्री भरतसिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले से होकर निकल रही ईस्ट-वैस्ट कारीडोर नैशनल हाईवे-76 को, चार लैन सड़क के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह सड़क कोटा-बारां जिले को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग पर बारां जिले के ग्राम पलायथा से सांगोद जाने वाली सड़क एमडीआर-88 आरम्भ होती है। यह सडक सांगोद में स्टेट हाइवे-51 को एन.एच.-76 से जोड़ती है। सड़क की पलायथा से सांगोद तक लम्बाई मात्र 23 किलोमीटर है तथा यह कोटा जिले की महत्वपूर्ण सड़क है। उजाड व कालीसिंध नदियों पर सबमर्सिबल पुल होने के कारण वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि होने पर सांगोद कस्बे का सडक सम्पर्क मार्ग स्टेट हाईवे-51 पर अवरूद्ध हो जाता है। इन हालात में कोटा से सांगोद व खानपुर जाने का एक मात्र मार्ग पलायथा-सांगोद एमडीआर-88 है। वर्तमान में यह सिंगल सडक मार्ग है व सांगोद क्षेत्र की जनता को एन.एच.-76 से जोड़ने वाला मार्ग होने के कारण यह आवश्यक है कि इस मार्ग को सैन्ट्रल रोड फण्ड से या मुख्य मंत्री सड़क योजना से 7 मीटर चौड़ी सड़क में तब्दील किया जावे। सरकार की सांगोद तहसील में उजाड़, कालीसिंध व परवन नदी पर कहीं भी उच्च स्तरीय पुल बनाना प्रस्तावित नहीं है। अत: एक विकल्प के रूप में कोटा पलायथा मार्ग को यदि 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना दिया जाता है तो अतिवृष्टि के समय में भी सांगोद व खानपुर उपखण्ड जाने का मार्ग खुला रहेगा।